>

Title: Regarding proposed move to introduce a Bill in connection with 'no reservation in certain cases' which is detrimental to the interests of SCs/STs in the country.

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण संविधान में दिया गया है, उसके साथ विरोधी रवैये के कारण लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदों और सेवाओं में आरक्षण विधेयक, 2008, स्थापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, उसमें इस प्रकार के उपबंध किये गये हैं, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो कुछ उपबंध किये गये हैं, उसके कारण वे एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसमें यह कहा गया है कि सरकार सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए उतने प्रतिशत पद ऐसी रीति में आरक्षित करेगी, जो विहित की जाए। इसी के विपरीत धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, वहां कोई आरक्षण नहीं होगा, जहां नियुक्तियां होंगी।[r31]

इस प्रकार से 47 संस्थाओं को सूची में से निकाल दिया गया है, जहां कि वे आरक्षण प्राप्त कर रहे थे। ये सारी संस्थाएं, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय हैं, ऐसी संस्थाओं में जो 47 शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें उच्च पदों पर इस प्रकार के आरक्षण करने की बात होने वाली है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार के विधेयक में जल्दी सुधार करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करने का उपाय करे।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, मैं अपने को श्री जटिया द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।